फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

ममता बनाम मनीष

किस्म मुकदमा : अपील एल.आर.एक्ट

अपील संख्या 91/2017
GCMS No. 2017/00236

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विजय कुमार पारीक ने प्रार्थना–पत्र प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को अनकम्पलीट एवं मियाद बाहर पेश होने के के आधार पर इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्राथमिक आपत्ति पर दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.08.2016 के विरूद्ध अपील दिनांक 09.03.2017 को पेश की गई, जो मियाद बारह पेश की गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.08.2017 के बाद भी दिनांक 19.09.2017 को अपील पेश की है। अपीलांट ने अपील के साथ मियाद कन्डोन हेतु दफा 5 का प्रार्थना–पत्र या लिमिटेशन एक्ट के तहत दफा 14 का प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किया गया है ना ही कोई शपथ–पत्र पेश किया है। अपील अनकम्पलीट है मियाद बाहर है क्योंकि मियाद कन्डोन हेतु जो भी देरी हुई है उस बाबत कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है। अपील रेवेन्यु कोर्टस मेनुअल के भी विपरित पेश की है। मियाद कन्डोन नही हो सकती क्योंकि कोई प्रार्थना–पत्र मियाद कन्डोन हेतु पेश ही नही किया गया हैं। उक्त अपील इसी स्तर पर कानूनी आपत्ति के आधार पर खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील संबंध में आर.आर.डी 2015 पेज नं. 119, आर.आर.डी 1981 पेज नं. 287 एवं आर.आर.डी 1994 पेज नं 23 न्यायिक दृष्टिांतों का हवाला दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना–पत्र प्राथमिक आपत्ति के संबंध में जवाब प्रार्थना–पत्र मियाद कानूनी आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.08.16 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 19.09.2017 को पेश की गई। अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.08.2017 के बाद दिनांक 19.09.2017 की अपील पेश की गई है। क्योकि उक्त अपील पर मेरिट पर कोई निर्णय पारित न करके मूल अपील ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटा दी गई थी, उक्त मूल अपील लौटाने के बाद तुरन्त मूल अपील ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। कोई नई अपील प्रस्तुत नही की	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गई, जो अन्दर मियाद लौटाने पर प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है उसमें मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट ने मियाद आपत्ति आपत्ति पर कोई काउन्टर शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया है जो कानूनन मेन्डेटरी है। बिना शपथ–पत्र के आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नही है। उक्त प्रार्थना–पत्र आपत्ति वेग होने के कारण निरस्त फरमावें। अभिभाषक अपील अपीलांट ने अपील संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2000 पेज नं. 547, आर.आर.डी 1975 पेज 207, आर.आर.डी 1999 पेज 43 एवं आर.आर.डी 1992 पेज 99 का हवाला दिया।

प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति में अंकित तथ्यों, जवाब प्रार्थना–पत्र मियाद कानूनी आपत्ति में अंकित तथ्यों एवं दौराने बहस अवलोकन एवं मनन किया। अपील अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.08.2017 के क्रम में इस न्यायालय में अपील दिनांक 19.09.2017 को मियाद बाहर प्रस्तुत की गई और अपील अपीलांट ने अपील के साथ धारा 05 या धारा 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया हैं जो राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल 1956 के विपरित है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर